

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज

आदेश

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त बाह्य न्यायालय, फरेन्दा से सम्बन्धित फौजदारी वादो के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित आदेश दिनांकित 20.04.2026 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा
जनपद महाराजगंज

क्रम	थाना	क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय फौजदारी वाद
1	फरेन्दा, बृजमनगंज	1. समस्त फौजदारी वाद, 2. आर्थिक अपराध 3. साईबर अपराध
2	कोल्हुई, पुरन्दरपुर	1. सभी प्रकार के आर्थिक अपराध, 2. साईबर अपराध

अपर सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा जनपद महाराजगंज

क्रम	थाना	क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय फौजदारी वाद
1	कोल्हुई, पुरन्दरपुर	समस्त वाद (आर्थिक अपराध, साईबर अपराध को छोड़कर)

उक्त आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज महोदय के अनुमोदन उपरान्त तत्काल प्रभावी से प्रभावी होगा।

समस्त सम्बन्धित सूचित हो।

सम्बन्धित न्यायालयों के लिपिकगण को आदेशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पत्रावलियों का स्थानान्तरण करें एवं सी.आई.एस. पर भी स्थानान्तरण करना सुनिश्चित करें।

दिनांक: 11.05.2026

(मुकेश यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज

प्रतिलिपि-

- 1-माननीय जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-पुलिस अधीक्षक, महाराजगंज।
- 3-सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा, महाराजगंज।
- 4-अपर सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा, महाराजगंज।
- 5-संयुक्त निदेशक अभियोजन, महाराजगंज।
- 6-सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, महाराजगंज।
- 7-बार एसोसिएशन, फरेन्दा, महाराजगंज।
- 8-बार एसोसिएशन, नौतनवां, महाराजगंज।
- 9-बार एसोसिएशन, निचलौल, महाराजगंज।
- 10-सम्बन्धित थाने को।
- 11-कम्प्यूटर अनुभाग, महाराजगंज।
- 12-गार्ड फाईल।

दिनांक: 11.05.2026

(मुकेश यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज

अनुमोदित

जनपद न्यायाधीश
महाराजगंज।

जनपद न्यायाधीश,

महाराजगंज।

11.05.2026

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना अनुसार श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की नियुक्ति सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा, जनपद-महाराजगंज के पद पर हुई है। पूर्व में न्यायालय सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा, जनपद-महाराजगंज रिक्त था। वर्तमान में उक्त पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप बाह्य न्यायालय, फरेन्दा से सम्बन्धित फौजदारी वादों के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित आदेश दिनांक 28.01.2026 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा जनपद महाराजगंज

क्रम	थाना	क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय फौजदारी वाद
1	फरेन्दा, कोल्हुई	1. समस्त फौजदारी वाद, 2. आर्थिक अपराध 3. साईबर अपराध
2	बृजमनगंज, पुरन्दरपुर	1. सभी प्रकार के आर्थिक अपराध, 2. साईबर अपराध

अपर सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा जनपद महाराजगंज

क्रम	थाना	क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय फौजदारी वाद
1	बृजमनगंज, पुरन्दरपुर	समस्त वाद (आर्थिक अपराध, साईबर अपराध को छोड़कर)

उक्त आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज महोदय के अनुमोदन उपरान्त तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

समस्त सम्बन्धित सूचित हो।

सम्बन्धित न्यायालयों के लिपिकगण को आदेशित किया जाता है कि वह नियमानुसार चालानी का स्थानान्तरण करें एवं सी.आई.एस. पर भी स्थानान्तरण करना सुनिश्चित करें।

दिनांक: 20.04.2026

M. V. Keshyadav
(मुकेश यादव) 20.4.2026

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज

प्रतिलिपि-

- 1-माननीय जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-पुलिस अधीक्षक, महाराजगंज।
- 3-सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा, महाराजगंज।
- 4-अपर सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा, महाराजगंज।
- 5-संयुक्त निदेशक अभियोजन, महाराजगंज।
- 6-सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, महाराजगंज।
- 7-बार एसोसिएशन, फरेन्दा, महाराजगंज।
- 8-बार एसोसिएशन, नौतनवां, महाराजगंज।

- 9-बार एसोसिएशन, निचलौल, महराजगंज।
10-सम्बन्धित थाने को।
11-कम्प्यूटर अनुभाग, महराजगंज।
12-गार्ड फाईल।

दिनांक: 20.04.2026

Mukesh Yadav
(मुकेश यादव) 21.4.2026
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महराजगंज

अनुमोदित

जनपद न्यायाधीश
महराजगंज।

जिला न्यायाधीश,

महराजगंज
21-04-2026

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज

आदेश

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, महाराजगंज से विचार-विमर्श के उपरान्त न्यायिक कार्य के सुचारु रूप से संचालन हेतु पूर्व में दिनांक 30.05.2025 एवं 05.09.2025 को किये गये कार्य वितरण आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था की जाती है:-

अपर सिविल जज, प्रवर खण्ड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज

थाना बरगदवां से सम्बन्धित समस्त वाद (न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज को प्रदत्त क्षेत्राधिकार की पत्रावलियों को छोड़कर) की सुनवाई एवं दाखिले का क्षेत्राधिकार तथा थाना कोतवाली से सम्बन्धित समस्त परकाम्य लिखत अधिनियम के परिवाद की सुनवाई एवं दाखिले का क्षेत्राधिकार न्यायालय अपर सिविल जज, अवर खण्ड, कोर्ट संख्या-3/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज से वापस लेकर तथा थाना ठूठीबारी से सम्बन्धित समस्त वाद (न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज को प्रदत्त क्षेत्राधिकार की पत्रावलियों को छोड़कर) विधिनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज, प्रवर खण्ड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

अपर सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा जनपद महाराजगंज

न्यायालय सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा जनपद महाराजगंज रिक्त होने के कारण उक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित समस्त वाद की दाखिल, सुनवाई तथा निस्तारण का क्षेत्राधिकार न्यायालय अपर सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा जनपद महाराजगंज को प्रदान किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

समस्त सम्बन्धित सूचित हो।

सम्बन्धित न्यायालयों के लिपिकगण को आदेशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पत्रावलियों का स्थानान्तरण करें एवं सी.आई.एस. पर भी स्थानान्तरण करना सुनिश्चित करें।

दिनांक: 28.01.2026

(मुकेश यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज

प्रतिलिपि-

- 1-माननीय जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-पुलिस अधीक्षक, महाराजगंज।
- 3-अपर सिविल जज, प्रवर खण्ड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज।
- 4-अपर सिविल जज, अवर खण्ड, कोर्ट संख्या-3/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज
- 5-सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा जनपद महाराजगंज
- 6-अपर सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा जनपद महाराजगंज
- 7-संयुक्त निदेशक अभियोजन, महाराजगंज।
- 8-सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, महाराजगंज।
- 9-सम्बन्धित थाने को।
- 10-गार्ड फाईल।

दिनांक: 28.01.2026

(मुकेश यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज

आदेश

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, महाराजगंज से विचार-विमर्श के उपरान्त न्यायिक कार्य के सुचारु रूप से संचालन हेतु पूर्व में दिनांक 30.05.2025 को किये गये कार्य वितरण आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था की जाती है:-

अपर सिविल जज, अवर खण्ड, कोर्ट संख्या-3/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज

थाना बरगदवां एवं कोठीभार से सम्बन्धित समस्त वाद (न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज को प्रदत्त क्षेत्राधिकार की पत्रावलियों को छोड़कर) की सुनवाई एवं दाखिले का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज से वापस लेकर तथा थाना कोतवाली से सम्बन्धित समस्त परिवाद (मय परक्राम्य लिखत अधिनियम) की सुनवाई एवं दाखिले का क्षेत्राधिकार न्यायालय अपर सिविल जज अवर खण्ड, कोर्ट संख्या-1/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज से वापस लेकर विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज, अवर खण्ड, कोर्ट संख्या-3/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

समस्त सम्बन्धित सूचित हो।

सम्बन्धित न्यायालयों के लिपिकगण को आदेशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पत्रावलियों का स्थानान्तरण करें एवं सी.आई.एस. पर भी स्थानान्तरण करना सुनिश्चित करें।

दिनांक: 05.09.2025

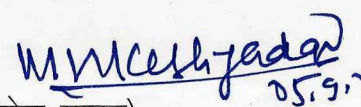
(मुकेश यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज

प्रतिलिपि-

- 1-माननीय जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-पुलिस अधीक्षक, महाराजगंज।
- 3-सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज
- 4-अपर सिविल जज अवर खण्ड, कोर्ट संख्या-1/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज
- 5-अपर सिविल जज, अवर खण्ड, कोर्ट संख्या-3/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज
- 6-संयुक्त निदेशक अभियोजन, महाराजगंज।
- 7-सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, महाराजगंज।
- 8-सम्बन्धित थाने को।
- 9-गार्ड फाईल।

11- कम्यूरा भुजाग

दिनांक: 05.09.2025


(मुकेश यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंजआदेश

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज वर्तमान समय में रिक्त है। न्यायिक कार्य के सुचारु रूप से संचालन हेतु पूर्व में दिनांक 01.05.2023 को पारित कार्य वितरण आदेश को संशोधित करते हुए निम्न व्यवस्था की जाती है:-

01-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज।

क्रम	थाना	क्षेत्राधिकार (बाह्य न्यायालय फरेन्दा, ग्राम न्यायालय निचलौल एवं नौतनवां को प्रदान किए क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
1	ए.एच.टी.यू. जी0आर0पी0 फरेन्दा, सोहगीवरवां, ठूठीबारी	समस्त वाद
2	कोतवाली, श्यामदेउरवां, सोनौली	पुलिस चालानी वाद
3	खान एवं खनिज अधिनियम (खनन विभाग) से सम्बन्धित परिवाद	सम्पूर्ण जिले के
4	धारा-302,304,304बी,396 भा0द0सं0	सम्पूर्ण जिले के
5	लोक सेवक के निरुद्ध धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. का प्रार्थना पत्र एवं परिवाद	सम्पूर्ण जिले के
6	नगर पालिका से सम्बन्धित वाद	सम्पूर्ण जिले के
7	सिनेमेटोग्राफी ऐक्ट,	सम्पूर्ण जिले के
8	श्रम अधिनियम	सम्पूर्ण जिले के
9	वन एवं वन जीव संरक्षण अधिनियम	सम्पूर्ण जिले के
10	खाद्य अपमिश्रण अधिनियम,	सम्पूर्ण जिले के
11	ए.आर.टी.आं चालानी	सम्पूर्ण जिले के
12	यातायात से सम्बन्धित पुलिस चालानी	सम्पूर्ण जिले के
13	फरेन्दा सर्किल के थाना फरेन्दा, बृजमनगंज, कोतहुई, पुरन्दरपुर	कमिटल वाद
13	आवकारी विभाग चालानी	सम्पूर्ण जिले के

विशेष अधिनियम एवं ऐसे मामले के सुनवाई एवं दाखिले का क्षेत्राधिकार जिसका क्षेत्राधिकार अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय को प्रदान किया जाता है।

02-सिविल जज, प्रवर खण्ड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज

क्रम	थाना	क्षेत्राधिकार (बाह्य न्यायालय फरेन्दा, ग्राम न्यायालय निचलौल एवं नौतनवां को प्रदान किए क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
1	निचलौल, सिन्दुरिया	समस्त वाद
2	सम्पूर्ण जिले के	गोवध निवारण अधिनियम

की सुनवाई एवं दाखिले का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज को प्रदान किया जाता है।

03-सिविल जज, प्रवर खण्ड, त्वरित न्यायालय/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराज

क्रम	थाना	क्षेत्राधिकार (बाह्य न्यायालय फरेन्दा, ग्राम न्यायालय निचलौल एवं नौतनवां को प्रदान किए
------	------	---

30.5.2023

		क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
1	चौक	समस्त वाद
2	घुघुली	समस्त वाद
3	परसामलिक	समस्त वाद

की सुनवाई एवं दाखिले का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड, त्वरित न्यायालय/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज को प्रदान किया जाता है तथा रिक्त न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट महाराजगंज में लम्बित APaR DJ की समस्त पत्रावलियां न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड, त्वरित न्यायालय/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज में विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित की जाती है।

04-सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज

क्रम	थाना	क्षेत्राधिकार (बाह्य न्यायालय फरेन्दा, ग्राम न्यायालय निचलौल एवं नौतनवां को प्रदान किए क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
1	कोठीभार	समस्त वाद
2	बरगदवां	समस्त वाद

की सुनवाई एवं दाखिले का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज को प्रदान किया जाता है।

05-न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज- रिक्त

क्रम	थाना	क्षेत्राधिकार
	—	—

07-सिविल जज, अवर खण्ड (त्वरित न्यायालय-1)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज

क्रम	थाना	क्षेत्राधिकार (बाह्य न्यायालय फरेन्दा, ग्राम न्यायालय निचलौल एवं नौतनवां को प्रदान किए क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
1	महिला थाना (सदर एवं निचलौल)	समस्त वाद
2	सम्पूर्ण जिले के	महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मुकदमें (धारा-498ए के साथ अन्य धाराएं 354, 354ए, बी, सी, डी व 509, अध्याय 20, 20ए भा0दं0सं0 से संबंधित अपराध तथा धारा 81, 82, 83, 84, 86 बी.एन.एस.) (बाह्य न्यायालय फरेन्दा, ग्राम न्यायालय निचलौल एवं नौतनवां को प्रदान किए क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
3	सम्पूर्ण जिले के	घरेलू हिंसा (बाह्य न्यायालय फरेन्दा, ग्राम न्यायालय निचलौल एवं नौतनवां को प्रदान किए क्षेत्राधिकार को छोड़कर)

की सुनवाई एवं दाखिले का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज, अवर खण्ड (त्वरित न्यायालय-1)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज को प्रदान किया जाता है।

08- अपर सिविल जज, अवर खण्ड कोर्ट संख्या-1 / न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज

क्रम	थाना	क्षेत्राधिकार (बाह्य न्यायालय फरेन्दा, ग्राम न्यायालय निचलौल एवं नौतनवां को प्रदान किए क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
1	नौतनवां	समस्त वाद
2	भिटौली	समस्त वाद
3	कोतवाली	परिवाद एवं एन.आई.ऐक्ट
4	श्यामदेउरवां	परिवाद एवं एन.आई.ऐक्ट

की सुनवाई एवं दाखिले का क्षेत्राधिकार न्यायालय अपर सिविल जज, अवर खण्ड कोर्ट संख्या-1 / न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज को प्रदान किया जाता है।

09-सिविल जज, अवर खण्ड (त्वरित न्यायालय-2) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज

क्रम	थाना	क्षेत्राधिकार (बाह्य न्यायालय फरेन्दा, ग्राम न्यायालय निचलौल एवं नौतनवां को प्रदान किए क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
1	पनियरा	समस्त वाद
2	सोनौली	परिवाद एवं एन.आई.ऐक्ट

की सुनवाई एवं दाखिले का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज, अवर खण्ड (त्वरित न्यायालय-2) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज को प्रदान किया जाता है।

APaR DJ से संबंधित पत्रावलियां जिन्हे आदेश दिनांक 26.05.2025 द्वारा वितरित किया गया था, उक्त पत्रावलियां संबंधित न्यायालयों द्वारा निस्तारित की जाएंगी।

उपरोक्त आदेश का बाह्य न्यायालय फरेन्दा, ग्राम न्यायालय, नौतनवा तथा निचलौल के क्षेत्राधिकार पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

उक्त आदेश गाननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

सम्बन्धित न्यायालयों के लिपिकगण को आदेशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पत्रावलियों का शीघ्र स्थानान्तरण करें एवं सी.आई.एस. पर भी स्थानान्तरण करना सुनिश्चित करें।

दिनांक: 30.05.2025

(मुकेश यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज

अनुमोदित

Sd. /
30-05-2025

जनपद न्यायाधीश,
महाराजगंज।

प्रतिलिपि-

01-माननीय जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02-जिलाधिकारी महोदय महाराजगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार न्यायालयों में लोक अभियोजक की उपस्थिति एवं लाकअप हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

03-पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार न्यायालयों में कोर्ट मोहरर एवं पैरोकार की उपस्थिति हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

- 04-सिविल जज, प्रवर खण्ड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज।
- 05-अपर सिविल जज प्रवर खण्ड, त्वरित न्यायालय/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महाराजगंज।
- 06-सिविल जज, अवर खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज।
- 07-अपर सिविल जज, अवर खण्ड, कोर्ट संख्या-1/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज।
- 08-न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज।
- 09-सिविल जज, अवर खण्ड (त्वरित न्यायालय-01) महिलाओ के विरुद्ध अपराध/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज
- 10-सिविल जज, अवर खण्ड (त्वरित न्यायालय-02)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज
- 11-बार एशोसिएशन, महाराजगंज।
- 12-बार एशोसिएशन, फरेन्दा, महाराजगंज।
- 13-संयुक्त निदेशक, अभियोजन महाराजगंज।
- 14-जिले के सम्पूर्ण थाने को।
- 15-गार्ड फाईल।

दिनांक: 30.05.2025

(मुकेश यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज

30.05.2025